"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/16/28.— राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 15–35/15–02/2019/16/17 दिनांक 30–07–2019 द्वारा जिला दन्तेवाड़ा के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा 01 के अंतर्गत लोक हित में विकास कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से "जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" जारी की गई थी।

2. पुनर्गठन योजना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसके फलस्वरूप समितियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही बाधित हो गई थी। इन याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायलय का अंतरिम आदेश दिनांक 22–11–2019 को पारित किया गया, जिसके द्वारा पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई हैं। अतः पुनर्गठन योजना की कंडिका 05 की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पुनः अधिनियम की धारा 16–ग (3) के तहत विभाग द्वारा उपान्तरित योजना क्रमांक विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 15–35/15–02/2019/1 दिनांक 07–03–2020 जारी की गई।

3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27–07–2020 द्वारा जिला दन्तेवाड़ा में विद्यमान 21 सोसाइटियों में किसी भी सोसाइटी का पुनर्गठन करना प्रस्तावित नहीं किया है।

अत्एव राज्य शासन एदत्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी की गई विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15–35/15–02/2019/16/17 दिनांक 30–07–2019 द्वारा जारी पुनर्गठन की स्कीम "जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" को निरस्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.